'पढ़ें बेटियाँ, बढ़ें बेटियाँ' योजना का महत्त्व तथा सफ़लता हेतु आवश्यक सावधानियाँ

रश्मि श्रीवास्तव*

बालिका शिक्षा में उत्तरोतर वृद्धि के बावजूद भारत में एक वर्ग ऐसा आज भी मौजूद है जहाँ बालिकाओं की शिक्षा उपेक्षित है। पारिवारिक मान्यताओं के दबाव में किशोरवय की छात्राओं का एक बड़ा वर्ग हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् विवाह आदि की बाध्यता के तहत अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत-सी दिक्कतों का सामना करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल स्तर की बालिकाओं की शिक्षा आगे जारी रखने के उद्देश्य से ''पढ़ें बेटियाँ, बढ़ें बेटियाँ'' योजना संचालित की है, यह योजना किशोरवय की बालिकाओं के लिए एक लाभप्रद योजना है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चहुँमुखी प्रयास आवश्यक हैं।

भारत में महिला वर्ग की समस्याएँ मूलत: उनकी शिक्षा-दीक्षा से जुड़ी हुई हैं। मसला चाहे व्यक्तिगत स्तर पर संतुष्टिपूर्ण जीवनयापन का हो, परिवार में आत्मनिर्भर व सम्मानजनक दर्जा प्राप्त करने का या फिर समाज में बराबरी के स्तर के साथ ज़िंदगी जीने का। पढ़ी-लिखी बालिकाएँ शिक्षा से मिली ताकत, जानकारी और जागरूकता से बेहतर ज़िंदगी जीने की दिशा खोज सकने में ज़्यादा समर्थ हो जाती हैं। अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की एक-एक बच्ची तक शिक्षा का प्रकाश पहुँचाना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। यही कारण है कि देश में बालिकाओं व महिलाओं की शिक्षा हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। बड़ी संख्या में बालिकाएँ विद्यालयों में प्रवेश भी ले रही हैं। किंतु इन तमाम प्रयासों के बीच हमारे देश में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक स्तर पर आ कर ठहराव की स्थिति दिखाई देती है। पारिवारिक मान्यताओं के दबाव में किशोरवय

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* (बी.एड.) महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

की छात्राओं के एक बड़े वर्ग को हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् विवाह आदि की बाध्यता के तहत अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 'अभी कौन सी नौकरी करनी है, चूल्हा चौका सीखो' मान्यता के तहत इन बच्चियों की पढ़ाई हाईस्कूल के बाद रोक दी जाती है, तो कभी 'विवाह हेतु पैसा जोड़ें या फिर पढ़ाते ही रहें', बाध्यता के तहत वे आगे की पढ़ाई से वंचित कर दी जाती हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल स्तर की बालिकाओं की शिक्षा आगे जारी रखने के उद्देश्य से पढ़ें बेटियाँ, बढ़ें बेटियाँ योजना संचालित की है।

इस योजना के तहत सूबे में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए 30,000 रुपये एक मुश्त दिये जाएँगे। यह लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की छात्राओं को मिल सकेगा।

वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यह एक लाभप्रद प्रयास है। इस योजना के माध्यम से गरीब तबके की बालिकाओं को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु ना केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकार द्वारा प्राप्त इस आर्थिक मदद के माध्यम से उन्हें शिक्षा संबंधी सहूलियतें भी मिल सकेंगी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने परिवार पर ही आश्रित नहीं होंगी। नि:संदेह आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी प्रोत्साहन राशिप्राप्त बालिका के माता–पिता उसकी पढ़ाई को बोझ नहीं समझेंगे। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की उनकी राह स्वत: आसान हो जाएगी।

"माध्यमिक शिक्षा विभाग ने योजना से लाभान्वित होने वाली छात्राओं का जिलेवार लक्ष्य भी तय कर दिया है। योजना के तहत लखनऊ में मुख्यत: 659, बाराबंकी में 514, सीतापुर में 765, बहराइच में 371, अम्बेडकर नगर में 581, श्रावस्ती में 213, गोंडा में 454, बलरामपुर में 313, रायबरेली में 382 छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।"[1] योजना का लाभ हासिल करने के लिए वे छात्राएँ ही पात्र होंगी जिनके परिवार के पास ग्राम्य विकास विभाग से जारी बी. पी. एल./अंत्योदय राशन कार्ड है। साथ ही छात्राओं ने 2012 में यूपी बोर्ड या मान्यताप्राप्त किसी अन्य बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नि:संदेह निर्धनवर्ग की बालिकाओं के लिए यह बड़ी ही लाभकारी योजना है। किंतु यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना हेतु जिलेवार जो लक्ष्य तय किया गया है वह बहुत ही सीमित है। कक्षा 10 के पश्चात पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राएँ वास्तव में अपनी 10 वर्ष की पढ़ाई का विस्तृत सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त कर सकने में असफल रह जाती हैं। आगे चल कर किसी भी रोज़गार आदि की प्राप्ति के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या स्नातक होने के कारण ये छात्राएँ विभिन्न रोज़गारपरक संभावनाओं से वंचित तो होतीं ही हैं, कुछ वर्षों तक विद्यालय से दूर रहकर 10 वर्ष की अवधि में सीखे गये ज्ञान की

व्यवहारिक उपादेयता की संभावनाएँ भी धीरे-धीरे न्यून हो जाती हैं। अत: 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त बालिकाओं को आगे की शिक्षा के क्रम में बनाए रखने हेतु 'पढ़ें बेटियाँ योजना' की शुरूआत एक सकारात्मक पहल है किंतु इस योजना के लक्ष्य को थोड़ा और विस्तार देकर प्रदेश के बड़े वर्ग को लाभ पहुँचाया जा सकना अधिक प्रभावपूर्ण हो सकता है।

शासनादेश सं. 1135/15-10-10 , 47(4) 2012 दिनांक 08-10-12 द्वारा प्रदेश में लागू यह योजना लाभार्थियों को देय 30000/- एकमुश्त उनके द्वारा खोले गये बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। 2012 में हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को जो उपर्युक्त मानक व शर्तों के अंतर्गत आती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रेषित करना होगा। आवेदन का प्रारूप अक्तूबर माह में समाचार पत्र आदि में प्रकाशित किया जा चुका है।[2] निर्धारित आवेदनपत्र में छात्रा को खाद्य विभाग द्वारा जारी बी. पी. एल./अंत्योदय कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ ध्यान देना होगा, बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार बी.पी.एल. कार्ड बनवाने की जटिल प्रक्रिया में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि तमाम गरीब परिवार बी.पी.एल. कार्ड बनवा ही नहीं पाते। अत: 'पढ़ें बेटियाँ बढ़ें बेटियाँ' योजना का लाभ यह वर्ग प्राप्त करने में जटिलता का अनुभव करेगा। अत: इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में निर्धन और वंचित वर्ग की छात्राओं की सही पहचान कर उन्हें योजना का लाभ पहुचाने में मदद की जाए। इसमें विद्यालयी स्तर पर प्राचार्य तथा शिक्षकों आदि को इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई बालिका वंचित तो नहीं हो रही है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र उक्त विद्यालय जहाँ छात्रा अध्ययनरत हो, प्रधानाचार्य /प्रधानाचार्या द्वारा संस्तुत/अग्रसारित करने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ छात्रा को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सी.बी.एस./कोर बैंकिग सेवा के तहत खोले गये खाते की पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।[3] यहाँ ध्यान दें, सरकार द्वारा शुरू की गयी तमाम योजनाओं संबंधी स्पष्ट निर्देश विद्यालयों व शिक्षकों तक या तो पहुँच ही नहीं पाता या बहुत देरी से पहुँचता है। 'पढ़ें बेटियाँ बढ़ें बेटियाँ' योजना चूंकि बालिका वर्ग की शिक्षा से जुड़ी योजना है। बालिकाएँ प्राय: सरकारी योजनाओं तथा उनके लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया के प्रति बहुत सजग नहीं होती हैं। अत: यहाँ शिक्षक व प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या की भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है। उ. प्र. सरकार की प्रस्तुत योजना के सही क्रियान्वयन के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थियों में समय से तत्संबंधी नियम, निर्देश पहुँचा दिये जाएँ, यहाँ शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्देश भी प्रस्तुत

योजना को ज़रूरतमंद बालिका तक पहुँचा सकने में सकारात्मक परिणाम दे सकेगा।

यह योजना चूँकि गरीब तबके की बालिकाओं से संबंधित है जिनके माँ-बाप या तो पढ़े-लिखे नहीं हैं या फिर कम पढ़े-लिखे हैं। अतः समाचार पत्र आदि में प्रकाशित योजना संबंधी सूचना तक उनकी पहुँच प्रायः नहीं हो पाती अतः इस योजना के प्रसारण हेतु अन्य जनसंचार माध्यम, जैसे रेडियो, दूरदर्शन आदि का भी आश्रय लिया जाना चाहिए।

ऐसा भी देखा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की अवधि प्रायः बहुत छोटी होती है। पाँच वर्ष के कार्य काल के पश्चात सरकार बदलने के साथ प्रायः योजनाएँ भी या तो बंद कर दी जाती हैं या बदल दी जाती हैं । वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार 'पढ़ें बेटियाँ बढ़ें बेटियाँ' योजना को विस्तृत कर यदि एक लोकप्रिय योजना बना सकने में सफल हो सकी तो यह योजना आगे चल कर लंबी अवधि तक जीवित रह सकेगी और तभी इस योजना के दूरगामी परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

समाज के जिस वर्ग के लिए यह योजना शुरू की गयी है वहाँ समस्या प्रायः धन से ही जुड़ी न होकर अभिभावकों की सोच से भी जुड़ी हुई है। अतः इस बात की भी संभावना है कि बालिका को इस योजना से प्राप्त धन का उपयोग उसके परिवार द्वारा अन्य घरेलू खर्चों में कर दिया जाए, और बालिका की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे। अतः इस योजना में बालिका को दिये जाने वाले आर्थिक लाभ के साथ-साथ संसाधन संबंधी कुछ अन्य लाभ, जैसे- आगे की स्कूल फ़ीस, पुस्तक, कॉपी अथवा आवागमन हेतु साइकिल आदि को जोड़ दिया जाना भी बड़ा प्रभावपूर्ण होगा। इससे योजना से प्राप्त सुविधा का एक हिस्सा सीधे-सीधे बालिका को मिलेगा और उसकी आगे की पढ़ाई सुविधाजनक हो सकेगी।

किशोरवय की छात्राओं द्वारा आगे की पढ़ाई जारी रखने का मुद्दा एक व्यक्तिगत निर्णय भी है। अतः यहाँ पूरा का पूरा दायित्व परिवार पर डाल देना भी ठीक नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि परिवार में पढ़ाई का माहौल ना होने के कारण छात्राएँ कक्षा 10 तक की पढ़ाई के पश्चात स्वयं स्कूली शिक्षा से खुद को अलग कर लेना चाहती हैं। पढ़ाई-लिखाई को बोझ समझने वाली छात्राओं के इस वर्ग के लिए घरेलू काम-काज व मनोरंजक जीवनशैली का आकर्षण किताब कॉपी से अधिक हो जाता है। शादी-ब्याह कर घर बसाने की सपनीली दुनिया अधिक आकर्षक लगने लगती है। हालांकि व्यवहारिक जीवन में आधी-अधूरी पढ़ाई व बगैर किसी आर्थिक मज़बूती के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाली युवतियों को आगे चल कर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार यदि सही मायनों में निर्धन वर्ग की किशोरवय छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखना चाहती है, उन्हें एक बेहतर भविष्य देना चाहती है तो उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किये जाने के साथ-साथ तत्संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना होगा।

अतः यह कहना उचित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'पढ़ें बेटियाँ बढ़ें बेटियाँ' योजना किशोरवय बालिकाओं के लिए एक लाभप्रद योजना है। सरकार को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतनी होंगी। ज़रूरतमंद बालिकाओं तक यह प्रोत्साहन राशि सही प्रकार से पहुँच सके इसके लिए सचेत रहना होगा। हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि हम अपनी बच्चियों को उचित शिक्षा देकर उन्हें उनके आने वाले जीवन के लिए बेहतर भविष्य दे सकें। अतः बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर किये जाने वाले इस प्रकार के प्रयास सदैव सराहनीय हैं। आवश्यकता महज इनके सफल क्रियान्वयन की है।

संदर्भ

1. *दैनिक जागरण*, 2012, पूर्व संदर्भित, 20 अक्तूबर, 2012, पृ. 13
2. शासनादेश संख्या 1133/151011247(4) 2012, दिनांक 08.10.2012 विज्ञप्ति सूचना, प्रकाशित *दैनिक जागरण*, दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन, लखनऊ, संस्करण दिनांक 01.11.2012, पृ. 13
3. www.madhyamikshiksha.nic.in